न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर

-1-

प्रकरण क्रमॉक सन् 87

R 1667-II/2006

01. रामचरण तनय श्री राम प्रसाद अहीर

02. दयाराम तनय श्री राम चरण अहीर

निवासीगण ग्राम महिलवार, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, (म0प्र0)

.... निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

बनाम

01. रामदास तनय श्री रल्ली अहीर

02. ऊँदल तनय श्री रामाधीन अहीर

निवासीगण ग्राम महिलवार, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, (म0प्र0)

.... गैरनिगरानीकर्तागण / अनावेदकगण

आज दि० 11-9-06 को प्रस्तुत

अवर सचिव

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध अतिरिक्त कमिश्नर महोदय सागर, संभाग सागर के प्रकरण क्रमॉक 385/सी. 129/2002-03 में पारित आदेश दिनॉक 05.09.2006 से परिवेदित होकर

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते हैं :-

01- यह कि ग्राम महिलवार की भूमि खसरा नम्बर 895, रकवा 4.006 हैक्टेयर, भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रेता छिकौड़ी तनय श्री राम प्रसाद अहीर साकिन महिलवार से दिनॉक 30.09.1974 को निगरानीकर्ता क्रमॉक - 01 रामचरण तनय श्री रामप्रसाद अहीर द्वारा क्रय कीं थी, साथ ही उक्त् भूमि के अलावा भूमि खसरा नम्बर 352, 353, 361, 362, 890, 891, 889, को भी क्रय किया गया था, साथ ही विक्रेता का नाम बतौर भूमि स्वामी राजस्व अभिलेख में दर्ज था, के कारण आदेश दिनॉक 20.08.1984 के द्वारा नामान्तरण हुआ जिससे निगरानीकर्ता व गैरनिगरानीकर्ता क्रमॉक - 02 उक्त् भूमि के मालिक व आधिपत्यधारी हुए ।

क्रमशः //2//

R. K. UPADHYAY
Advocate
Tehsil Rajnagar
Civil Court Chhatarpur (M.P.)

रामचरण दयाराम यादव

R-1667-II/06 छतरपुर

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग. 1667/II/06 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-7-16	1- आवेदक एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर के प्र.क्र. 385/सी-129/2002-03 में पारित आदेश दि. 05-09-2006 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2- आवेदक की ओर लिखित तर्क प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि, वादग्रस्त भूमि आवेदकगणों द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दि.03.09.1974 को विक्रेता छकोड़ी अहीर से क्रय की गई थी और जिसका नामांतरण भी दि. 20.08.1984 को राजस्व निरीक्षक राजनगर द्वारा आवेदक के नाम से किए जाने का आदेश दिया गया था जिससे आवेदित भूमि में मात्र आवेदकगणों जों आपस में पिता पुत्र है के नाम एकाकी स्वामित्व की भूमि है और वर्ष 1984 से लगातार खसरा व खतौनी में उनके नाम से दर्ज चली आ रही थी परंतु भूमि ख.नं. 895 रकवा 4.006 हे0 को गलत तरीके से हल्का पटवारी द्वारा अनावेदक क्र. 1 के नाम से उसकी खतौनी में दर्ज किया गया था जिसके विरूद्व सर्वप्रथम अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसे बिना किसी आधार के निरस्त किया गया जिसके विरूद्व अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जिसके विरूद्व अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर के प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जिसकी निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उनका यह भी तर्क है। विवादित भूमि को अनावेदक क्र.1 द्वारा किस आधार पर स्वत्व प्राप्त किया है इसके संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं इस कारण प्रकरण विचाराधीन रहते हुए अधिकारिता रहित बंटवारा आदेश विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 895 की भूमि का किया गया है जो शून्य घोषित किए जाने योग्य है। अतएव उन्होंने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर क्रयशुदा भूमि में से भूमि ख.नं. 895 रकवा 4.006 हे0 पर अनावेदक क्र.1 रामदास का नाम पृथक करते हुए आवेदकगण के नाम दर्ज किए जाने हेतु निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है।	

[कृ. प. उ.

R. 1667. 07/06 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर

3— अनावेदक क. 1 ओर से तर्क दिया है कि विवादित भूमि सन 1939—40 से अनावेदक के पूर्वज का कब्जा चला आ रहा है जिसकी मृत्यु उपरांत अनावेदक का विरासतान स्वामित्व एवं कब्जा चला आ रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 113 की परिधि के तहत प्रकरण प्रचलन योग्य न पाते हुए विधिवत आदेश पारित किया है अपर आयुक्त सागर द्वारा भी अनावेदक रामदास का नाम विधिवत रूप से दर्ज होने के आधार पर प्रकरण निराकृत किया है अतएव उन्होनें प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है।

4— उपभपक्ष अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को खसरा खतौनी अनावेदक के नाम दर्ज होने के आधार पर उसे भूमि स्वामी मान्य करने का आधार लिया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर किए बिना संक्षिप्तः अपील समयसीमा से परे मानते हुए निरस्त की है। प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय 03.09.1974 के अवलोकन किए जाने से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक रामचरण तनय रामप्रसाद तथा दयाराम तनय रामचरण तथा उदल तनय रामादीन द्वारा क्रयशुदा विवादित भूमि के समान हिस्सेदार 1/3, के मान से होना पाये जाते है तथा विक्रयपत्र दिनांक 03.09.1974 को विकेता छकोड़ी तनय रामप्रसाद अहीर के नाम भूमि दर्ज पायी गई है। उक्त भूमि पर अनावेदक क्र.1 नाम रामदास का नाम किस आधार पर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है इस संबंध में कोई भी दस्तावेज किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया अपर आयुक्त सागर द्वारा अनोवदक क्र.1 का नाम खसरा खतौनी दर्ज होने मात्र के आधार पर निगरानी स्वीकार की है इस कारण अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2006 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजनगर पारित आदेश दिनांक 25.06.2002 एवं आयुक्त सागर के आदेश दिनांक 05.09.2006 विधि सम्मत न होने से निरस्त करते हुए अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2003 के परिप्रेक्ष्य में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 03.09.1974 के आधार पर भूमि ख.नं0 895 रकवा 4.006 हे0. पर क्रेतापक्ष आवेदकगण एवं अनावेदक क्र.2 ऊदल के नाम समान भाग में दर्ज किए जाने के निर्देश तहसीलदार राजनगर प्रभारीमंडल चन्द्रनगर को दिए जाते है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य